

प्रेस नोट दिनांक 29.09.2020

1. दिनांक 28.09.20 को वादी श्री अमित शंकर यादव थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सोनू सिंह पुत्र हरिशंकर नि0 जमुनिया बाग थाना को0नगर अयोध्या आदि 04 नफर **03 अभि0 गिर0** अभि0गण द्वारा आईपीएल मैच में पर्ची से नम्बर लगाकर रूपये की सट्टेबाजी करना मौके से 1430 रूपये, 02 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद सट्टा डायरी, 04 अदद सट्टा रसीद बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 647/20 धारा 419, 420 भादवि व 3/4 सार्वजनिक जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 28.09.20 को वादी श्री नितीश कुमार श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अनिल कुमार पुत्र गंगा प्रसाद नि0 साहबगंज बालदा थाना को0नगर आदि 06 नफर **सभी गिर0** अभि0गण द्वारा आईपीएल मैच में पर्ची से नम्बर लगाकर रूपये की सट्टेबाजी करना मौके से 1940 रूपये, 01 अदद सट्टा रसीद बुक, 11 अदद सट्टा रसीद बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 648/20 धारा 419, 420 भादवि व 3/4 सार्वजनिक जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 28.09.20 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश सिंह थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि उदयनाथ सिंह पुत्र श्याम शरण सिंह नि0 गांधी नगर नाका थाना को0नगर अयोध्या आदि 05 नफर **सभी गिर0** अभि0गण द्वारा आईपीएल मैच में पर्ची से नम्बर लगाकर रूपये की सट्टेबाजी करना मौके से 1420 रूपये, 04 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद कैलकुलेटर, 01 अदद सट्टा रजिस्टर, 17 अदद सट्टा रसीद बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 649/20 धारा 419, 420 भादवि व 3/4 सार्वजनिक जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 28.09.20 को वादी श्री विनोद बाबू मिश्रा प्रभारी निरीक्षक कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेन्द्र सोनकर पुत्र राम अवतार नि0 जमथरा रोड़ नया पुरवा थाना कैण्ट अयोध्या आदि 05 नफर **सभी गिर0** अभि0गण द्वारा आईपीएल मैच में पर्ची से नम्बर लगाकर रूपये की सट्टेबाजी करना मौके से 9850 रूपये, 05 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद कैलकुलेटर, 03 अदद नोटबुक, 05 अदद नम्बर लिखा पेपर, 02 अदद पेन आदि बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 456/20 धारा 419, 420 भादवि व 3/4 सार्वजनिक जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 28.09.20 को वादी श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र बंश बहादुर सिंह नि0 5/18/57 बछड़ा सुलतानपुर स्टेट बैंक कालोनी साहबगंज थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 सीटी 074 मैजिक का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई प्रमोद को टक्कर मार देना जिससे दाहिना पैर टूट जाना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 457/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 28.09.20 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश मिश्रा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कक्कू गौतम पुत्र राम गोपाल नि0 जलवानपूरा थाना को0अयोध्या अयोध्या **गिर0** अभियुक्त के कब्जे से 01 किग्रा गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 704/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 28.09.20 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश मिश्रा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विनोद पुत्र संतराम नि0 आसिफ बाग थाना को0अयोध्या अयोध्या **गिर0** अभियुक्त के कब्जे से 01 किग्रा गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 705/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 28.09.20 को वादी उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार यादव थाना रा0ज0भू0 अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेश सोनकर पुत्र कुन्दन नि0 जलवानपूरा थाना रा0ज0भू0 अयोध्या **गिर0** अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रा0ज0भू0 में मु0अ0सं0 119/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 28.09.20 को वादी श्री अर्जुन कुमार पुत्र बंदी प्रसाद नि0 मानापुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लवकुश पुत्र राम उजागिर नि0 मानापुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या आदि 03 नफर पुरानी

रंजिश को लेकर अभि०गण द्वारा हमलावर होना तथा गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 559/20 धारा 323, 352, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 28.09.20 को वादी उ०नि० श्री राम नरेश वर्मा थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जयवीर सिंह उर्फ बिपिन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि० उसका मऊ थाना हलियापुर सुलतानपुर गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 562/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 28.09.20 को वादी श्री दलील अहमद पुत्र मजीद नि० बिछिया थाना ऊँच जनपद भदोही द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 56 डब्लू 0717 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र अनीस खॉ को टक्कर मार देना जिससे गम्भीर चोटे आना दौरान इलाज मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 438/20 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 28.09.20 को वादी श्री रवि यादव पुत्र कालिका यादव नि० पाराताजपुर थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 डीए 9964 का चालक रामभवन पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता को टक्कर मार देना जिससे गम्भीर चोटे आना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 606/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 28.09.20 को वादी श्री संतोष कुमार सिंह थानाध्यक्ष खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अरविन्द माली उर्फ पप्पू पुत्र राम सूरत नि० धौरहरा थाना खण्डासा अयोध्या गिर० पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभि० द्वारा जान से मारने की नियत से आरक्षी संदीप यादव पर फायर करना जिससे उसके दाहिने हाथ में गन शॉट इन्जरी तथा जबाबी कार्यवाही में अभि० के पैर में गोली लगना, अभि० के कब्जे से 01 अदद मो०सा०, जेवरात तथा 01 अदद पिस्टल व 03 अदद जिन्दा, 03 अदद खोखा कारतूस 32 बोर बरामद होना। नोट—अभि० मु०अ०सं० 351/20 धारा 394,307,411, 341 भादवि में वांछित तथा 25000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी था। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 417/20 व 418/20 धारा 41/411, 307 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।